सोनभद्र पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 28.07.2026

Operation Conviction : सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैर इरादतन हत्या एवं गर्भस्थ शिशु की मृत्यु कारित करने के अभियोग में अभियुक्त दोषसिद्ध, न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से किया गया दण्डित-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र, मिर्जापुर के कुशल पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे **"Operation Conviction"** अभियान के क्रम में थाना ओबरा पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

सोनभद्र पुलिस द्वारा की गई प्रभावी विवेचना, सुदृढ़ साक्ष्य संकलन एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी न्यायालयीन पैरवी के फलस्वरूप **थाना ओबरा पर पंजीकृत हत्या एवं गर्भस्थ शिशु की मृत्यु** से सम्बन्धित अभियोग में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण का विवरण-

थाना : ओबरा, जनपद सोनभद्र
एसटी संख्या : 83/2015
मु0अ0सं0 : 260/2015
धारा : 304, 316 भा.द.वि.

दोषसिद्ध अभियुक्त-

राम जियावन पुत्र इन्दर सिंह निवासी- खैराही पनारी, थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय-

1. माननीय सत्र न्यायालय, जनपद सोनभद्र द्वारा अभियुक्त राम जियावन को **धारा 304 भा.द.वि. के अपराध में 10 वर्ष के कारावास एवं ₹10,000/-** अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
2. अभियुक्त को **धारा 316 भा.द.वि. के अपराध में 10 वर्ष के कारावास एवं ₹5,000/-** अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा दोनों सजाओं को साथ-साथ चलाने का आदेश पारित किया गया है। अभियुक्त द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि को सजा में समायोजित किया जायेगा।

सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका-

उक्त अभियोग में थाना ओबरा पुलिस द्वारा की गई प्रभावी विवेचना, अभियोजन अधिकारी की सशक्त न्यायालयीन पैरवी, कोर्ट मोहर्रिर के समन्वय तथा जनपद मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी एवं प्रभावी अनुश्रवण के परिणामस्वरूप अभियुक्त को दोषसिद्ध कराते हुए माननीय न्यायालय से सजा सुनिश्चित कराई गई।